छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11–1/2012/16 रायपुर, दिनांक 20-07-2012

"भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" की धारा 16(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम, 2008" के तहत् पंजीकृत कर्मकारों के लिए निम्नानुसार अभिदाय विनिर्दिष्ट करती है :–

"भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 16(1) सहपठित नियम 272 के तहत् हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण/नवकरण के आवेदन के समय प्रत्येक आवेदक 25 पैसे प्रति माह के मान से तीन वर्षो के लिए (अर्थात् रूपये 3/– एक वर्ष के लिए) रूपये 9/– अभिदाय शुल्क जमा करेगा।"

यह अधिसूचना भूतलक्षीय प्रभाव से दिनांक 8 मई 2008 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी0 आर0 मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्र0 11–1/2012/16 रायपुर, दिनांक 20.07.2012

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ....(छ0ग0)
8. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)
9. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन मंत्रालय, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 03.09.12

क्रमांक एफ 10–16/2012/16 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन), अधिनियम, 1996 की धारा 12(3) के अनुसार शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियम 272 के तहत् छत्तीसगढ़ भवन एंव अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अधिसूचना क्रमांक एफ 10–3/2010/16, रायपुर दिनांक 03.03.2010 में निम्नानुसार संशोधन करती हैः–

"अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 यथावत् रखते हुए बिन्दु क्रमांक 03 को विलोपित करती है।"

उपरोक्त अधिसूचना, अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.आर. मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
रायपुर, दिनांक 03.09.12

पृष्ठांकन क्र0 एफ 10–16/2012/16,

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
4. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
5. समस्त उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)
6. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, श्रम कार्यालय, ...रायपुर (छ0ग0)
7. संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर (छ.ग.)
8. समस्त उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.. (छ.ग.)
9. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

D:\peetar minj\aadesh.doc717